

Handwritten signature and date: 7/9/18

कार्यालय - अध्यक्ष डिस्कॉम्स
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर।

क्र.जे.पी.डी./अध्यक्ष डिस्कॉम्स / अधी.अभि.(आर.ई.)/अधि.अभि.(11)/प./ प्रे. 676 दि. 31.8.18

आदेश

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट घोषणा अनुरूप लक्षित 2,00,000 कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में नये कृषि कनेक्शनों को समय से जारी करने की प्रक्रिया में निम्न प्रावधान किये जाते हैं।

1. मांगपत्र जमा होने की स्थिति में यदि आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर लाईन व सब स्टेशन स्थापित करने का विकल्प नहीं दिया गया है तो ऐसे समस्त कृषि कनेक्शन हेतु निगम द्वारा सामान परिवहन व लाईन खड़ी करने का कार्य किया जावेगा।
2. आवेदक द्वारा विकल्प देने के उपरांत यदि सामान का परिवहन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का सामान पहुंचाने व जॉब कार्य निगम स्तर पर ही पूर्ण किया जायेगा।
3. यदि आवेदक द्वारा विकल्प देने के पश्चात सामान परिवहन कर लिया गया है लेकिन जॉब कार्य पूर्ण करने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति में निगम स्तर पर ही कार्य पूर्ण किया जायेगा।
4. जॉब ऑर्डर की पूर्णता पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता, फीडर इंचार्ज, आवेदक व कान्ट्रेक्टर फर्म प्रतिनिधि से हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। यदि आवेदक उपलब्ध नहीं है तो भी कनिष्ठ अभियंता, फीडर इंचार्ज व कान्ट्रेक्टर फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से जॉब ऑर्डर पूर्ण माना जावेगा एवं इसी के अनुरूप सर्विस कनेक्शन जारी कर दिये जावे।
5. यदि आवेदक कनेक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, जैसे कनेक्शन हेतु मोटर-फिटिंग पूर्ण नहीं है, तो उसका ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया जायेगा लेकिन उसकी वजह से अगली प्राथमिकता वाले कनेक्शनों को नहीं रोका जावेगा।
6. ऐसे आवेदक जिनके बिन्दू 05 के अनुरूप ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किये गये हैं, उनकी भविष्य में बिलिंग ट्रांसफार्मर स्थापित होने की दिनांक से ही की जावे।

उपरोक्त प्रावधान तीनों विद्युत निगमों में केवल चालू वित्तीय वर्ष हेतु ही लागू रहेंगे।

Handwritten notes: Up/and, 8/9/18, 7/9/18

SE (IT), AVVNL, Ajmer
RR No. 1228 Date 21/8/2018
Section.....

Handwritten signature and date: (आर.जी. गुप्ता) 31/8/2018
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता/अति. मुख्य अभियन्ता (HQ/MM/Projects & Planning/TS & QC), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम।
2. संभागीय मुख्य अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम
3. अधीक्षण अभियन्ता (O&M/Vig/Comm/M&P/TW/Plan & Mont./IT/MM/Proc/RE), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. अति. पुलिस अधीक्षक (सर्तकता), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी (R&C/FM-W&M/IA), सलाहकार (ए.टी.आर.), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम,
6. सचिव (प्रशासन), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
7. निजी सचिव- प्रमुख ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. प्रावै. सहा.- प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम।
9. निजी सहा.- निदेशक (तकनीकी/वित्त), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम।
10. जनसंपर्क अधिकारी, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम,

अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)

अविविनिलि/अ.अ.(योजना)/एम.आई.एस/2018-19

प्रे. 1697 दि. 07/09/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. श्रीमान संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), अविविनिलि, अजमेर/झुंझुन/उदयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (आई.टी.), अविविनिलि, अजमेर।
3. अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर (सी.सी./डी.सी)/भीलवाडा/नागौर सीकर/झुंझुन/बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़/राजसमन्द/उदयपुर।
4. प्रबन्धक, टी.पी.ए.डी.एल, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेचाईजी (अजमेर सिटी) वैशाली नगर, अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर